सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन - 2011-12

कार्य योजना - 2012-13

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	5–6
2	प्रस्तावना	7–8
3.	प्रशासनिक ढाँचा	9–12
4	वित्तीय वर्ष 2011–12 का बजट उदव्यय एवं 2012–13 का प्रस्तावित बजट उपबंध।	13–14
5.	कल्याणकारी योजनाएँ	15–39
6	वर्ष 2012–13 की कार्य योजना	40

रमई राम
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार

दूरभाष : 0612-2217355 (कार्यालय+फैक्स)
0612-2252125 (आ0)
मोबाईल : 9431800990

पत्रांक :.....

दिनांक :.....

संदेश

संवेदनशील सरकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पारदर्शी रूप से भू–विवादों के त्वरित गति से निष्पादन एवं सक्रिय भूमि सुधार प्रबंधन हेतु कृत संकल्प है।

भूमि विवाद से संबंधित मसले के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन एक निश्चित समय–सीमा के अन्तगर्त वादों के निष्पादन के लिये उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भूमि से संबंधित वादों के कारण न्यायिक व्यवस्था के बढ़ते दबाव को देखते हुये वादों के तीव्र एवं सरल या सुलभ कार्यान्यवन के लिये बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 के अधीन **बिहार भूमि न्यायाधिकरण** का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार भूमि न्यायाधिकरण हेतु सेवानिवृत्त न्यायामूर्त्ति को अध्यक्ष के रूप में तथा एक सदस्य (प्रशासनिक) एवं एक सदस्य (न्यायिक) की नियुक्ति कर दी गयी है।

समाज के सबसे कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग यथा महादलित परिवारों वास भूमि रहित परिवारों के लिये गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम बी0पी0एच0टी0 ऐक्ट के तहत् बंदोबस्ती के साथ–साथ जहाँ इन स्त्रोतों से भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है वहाँ रैयती भूमि को क्रय कर वास भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया का त्यजन किये बिना एक निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत राज्य में भूमि का सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कराने हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 लागू किया है। साथ ही बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल–खारिज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य के विकास में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का हस्तांतरण एवं भू–अर्जन कर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

मुझे विश्वास है कि सुशासन की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार की दिशा में उठाये गये कदमों से रैयत/नागरिक इत्यादि लाभान्वित होंगे। राजस्व प्रशासन हेतु जनता का सहयोग/भागीदारी अपेक्षित है।

(रमई राम)

प्रस्तावना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

गृह विहीन महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को गृह स्थल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना इस विभाग में चलायी जा रही है। भूमि की व्यवस्था कुल 4 स्रोतों से की जा रही हैं :–

(क) गैर मजरूआ मालिक/खास भूमि स्रोत से अबतक कुल 52846 महादलित परिवारों के साथ 1617.99 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की गयी है।

(ख) गैर मजरूआ आम भूमि स्रोत से 24871 महादलित परिवारों के साथ 669.399 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की जा चुकी है।

(ग) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत अधिनियम, 1947 के तहत प्रश्रय प्राप्त 39,668 महादलित परिवारों को 1106.801 एकड़ भूमि का पर्चा निर्गत किया जा चुका है।

(घ) जहाँ कहीं उपर्युक्त भूमि स्रोत उपलब्ध न हों वहाँ रैयती भूमि का क्रय किया जा रहा है। इस स्रोत से 26,479 महादलित परिवारों के बीच 794.37 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

1992 मे चकबंदी योजना के स्थगन के पूर्व 3466 राजस्व मौजे अनधिसूचित हुए थे। 2004 में चकबंदी योजना पुनः प्रारम्भ किए जाने के बाद 539 राजस्व मौजे अनधिसूचित किए जा चुके है।

वर्ष 2010–11 में दाखिल–खारिज के कुल 895685 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है तथा यह विषय बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में समाविष्ट है। इसी प्रकार 2010–11 में कुल 551759 भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए। इसके अतिरिक्त 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 510363 भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। यह विषय भी बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम से आच्छादित है।

राज्य में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत् भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय कार्यरत हो चुके हैं।

राज्य में नियत अवधि में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूरा करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से एक सशक्त वैधानिक आधार तैयार किया जा चुका है। ऐसी आशा की जाती है कि इसके क्रियान्वयन से राज्य में रैयतों के अधिकार–अभिलेखों के वैज्ञानिक विधि से संधारण करने में सहायता मिलेगी।

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना